

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रशासन गांवों के संग अधिवान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री. श्यामल व भू अभिलेख निरीक्षक श्री. नारायण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ध्यापडा पटवार हल्का श्री. श्यामल तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2025-28 में खाता संख्या 67 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	ध्यापडा	67	नाहर सिंह पिठ हिम्मर सिंह	नारायण सिंह सुर्ज नालु सिंह पिठ हिम्मर सिंह

प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 16/12/21

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 20

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

